कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

क्रमांक: 09 दिनांक: 17.02.2025

–: कार्यालय आदेश :–

चूरू न्याय क्षेत्र में राजकीय अवकाशों के दौरान बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए माह **मार्च, 2025** के लिये निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती हैः–

–: माह मार्च, 2025 :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम अधिकारी	मोबाईल नंबर	ड्यूटी दिनांक
1.	नवदीप	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला (चूरू)	82391–14104	02.03.2025
2.	शिवानी	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, (चूरू)	81683–19771	08.03.2025 व 09.03.2025
3.	कनिष्का यादव	न्यायिक मजिस्ट्रेट, (चूरू)	98877–03945	13.03.2025, 14.03.2025 व 16.03.2025
4.	मयंक मीना	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला (चूरू)	82334–03767	22.03.2025 व 23.03.2025
5.	विकास गजराज	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़, जिला (चूरू)	82338–89051	30.03.2025 व 31.03.2025

1. इन राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त चूरू न्यायक्षेत्र के लिए **मयंक मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़** की ड्यूटी लगायी जाती है।

2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हों तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

3. उपरोक्त आदेश में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा परंतु अत्यावश्यक कार्य होने पर संबंधित अधिकारी को अन्य न्यायिक अधिकारी से सहमति प्राप्त करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में रिमांड ड्यूटी का परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।

4. इस आदेश को पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक प्रभावी माना जायेगा।

–sd–
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

क्रमांक: 180 दिनांकः– 17.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू को सादर।
2. पुलिस अधीक्षक, चूरू को समस्त थानाधिकारियों के लिये सूचनार्थ।
3. जिला आबकारी अधिकारी, चूरू को समस्त आबकारी वृतों के लिये सूचनार्थ।
4. उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को जरिये ई–मेल।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरू को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय आदेश।
7. रक्षित पत्रावली।

हरीश कुमार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)